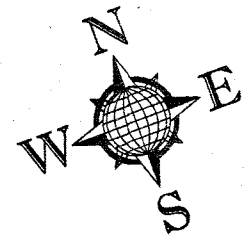
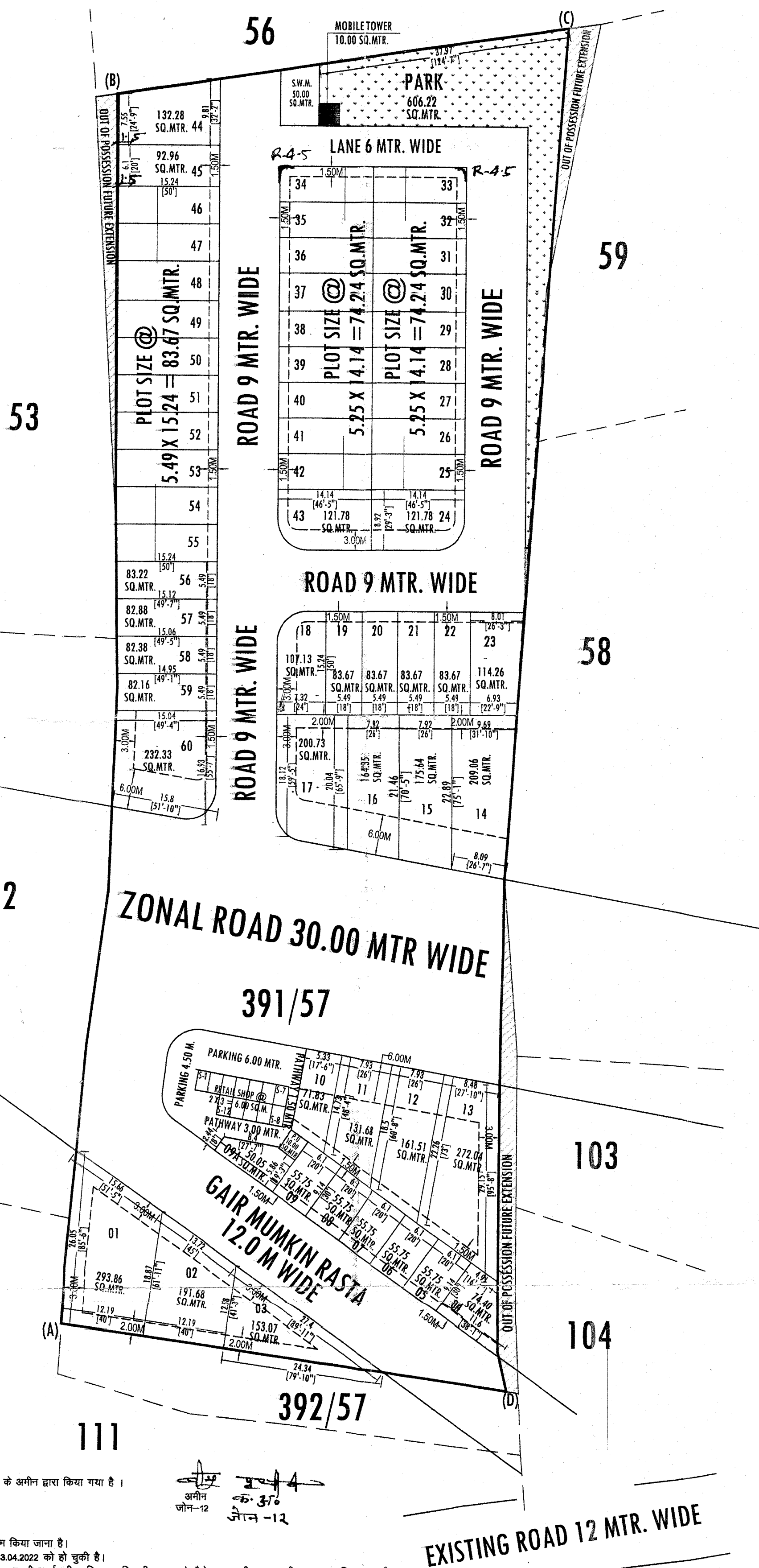


PROPOSED LAYOUT PLAN OF
MUKUND VATIKA
AT VILLAGE - MUKANDPURA, TEH.-JAIPUR, JAIPUR

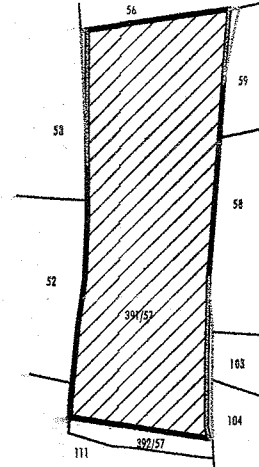


1160
B
21-9-22

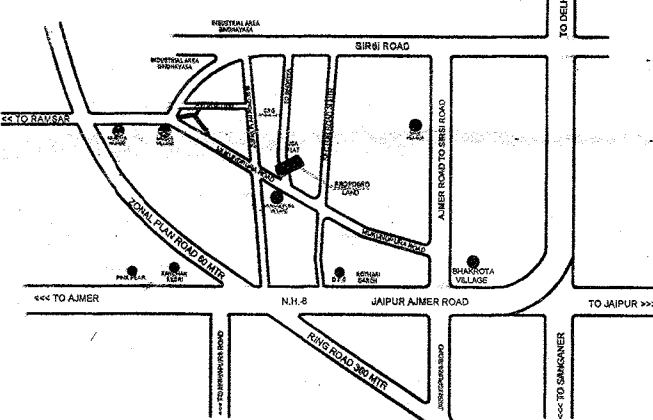


J.D.A.

KHASRA MAP :-



KEY PLAN :-



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
१. आवासीय - ५६
२. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
३. खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड - १२

LAND USES OF SCHEME :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL PLOT	6188.88	51.33%
2	RETAIL SHOPS	72.00	00.60%
TOTAL (1+2)		6260.88	51.93%
3	PARK	606.22	05.03%
4	SOLID WASTE	50.00	00.41%
5	MOBILE TOWER	10.00	00.08%
6	P.U	10.00	00.08%
7	ZDP ROAD	1823.67	15.13%
7	ROAD	3296.09	27.34%
TOTAL (3+4+5+6+7)		5795.98	48.07%

TOTAL SCHEME AREA 12056.86 100.00 %

GAIR MUMKIN RASTA 633.00 sq.mtr.

OUT OF POSSESSION AREA 340.14 SQ.MTR.

TOTAL KHATEDAR AREA 12397.00 SQ.MTR.

1.23 Hect.

SCHEME NAME :- MUKUND VATIKA

AT VILLAGE - MUKANDPURA, TEH.-JAIPUR, JAIPUR

ZONE NO. :- 12

SCALE :- 1:500

NORTH :-

A.T.P. D.T.P. S.T.P.

CONSULTANT :-

Cad max A Complete Dzine Studio
Consultancy (P) Ltd.
301-302, PRISM TOWER, NEAR J.D.A. FLAT,
LAKHOTI SCHEME, JAIPUR (RAJ.)
PIN - 302015, Mob-9829246000
Website: www.cadmaz.co.in
e-mail: cadmaxconsultancy@gmail.com

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अंगीन द्वारा किया गया है।

अमन
जोन-12

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 13.04.2022 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास के एजेंड में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 व 13 कुल भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 910.65 वर्गमीटर है, जो जमिना में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 321 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत दू-1 (आवासीय) है।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जमिना (जयपुर रीजन मवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप-अमर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)